बिजली के अधिकार की रक्षा के लिए बिजली संशोधन बिल 2014 के खिलाफ इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इंडिया की जनता के नाम

अपील

प्रिय साथियों, भाईयों एवं बहनों,

जैसा कि आपको मालूम है कि आजादी के आरंभ में ही नए आजाद भारतवर्ष की सरकार ने अपने देश के आर्थिक विकास करने के लिए बिजली सेवा को अपनाया। देश के समुचित विकास के लिए नए उद्योगों जैसे इस्पात बनाने, खाद्य और भारी उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए अलग से पूंजी लगाने हेतू सरकारी उपकरणों की स्थापना की गई। इसके लिए 1948 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य सरकारों को बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के लिए कानूनी तथा संगठनात्मक अधिकार प्रदान करने का प्रावधान था।

देश में कृषि, उद्योग धंधों, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार और व्यवसायिक, क्षेत्रों के तेजी से विकास करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा राज्य के बिजली बोर्डों की स्थापना हुई थी।

आजादी के आरंभ से ही देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 1948 में बिजली कानून में परिकल्पना की गई थी कि उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप बिजली आपूर्ति के तरीकों को अपनाते हुए राज्य बिजली बोर्ड लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए। गरीब लोगों की, जिनके पास सीमित वित्तीय साधन है, जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, उनको उच्च आय वर्ग के लोगों की तुलना में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है।

आजादी के 4 दशकों तक भी राज्य बिजली बोर्ड, राष्ट्रीय बिजली नीति के कारण पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। जबकि देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिजली बोर्डों ने सिंचाई के लिए 1.5 करोड़ ट्यूबवैल लगाने में सक्रिय भूमिका निभाई।

जबसे भारत की सरकार ने नवउदारीकरण की नीतियों को लागू करना शुरू किया है, तभी से व्यापारिक घरानों के हितों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गरीबों के बारे में सरकार सोचती नहीं है, इसलिए सरकार समाज और मनुष्य के विकास के लिए निर्धारित मानदंडों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि महत्वपूर्ण स्त्रोतों को निजी कंपनियों को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है।

भारत की सरकार ने सुधारों के नाम पर राज्य बिजली बोर्डों को घाटे से उभारने के लिए उनके आकार को छोटा कर दिया है। उड़ीसा देश का पहला राज्य है, जिसने अमेरिका की एईएस कंपनी को अपने राज्य में आमंत्रित किया, लेकिन यह कंपनी अपने दायित्व को निभाने में सफल नहीं हुई। इसके बाद अंबानी की रिलायंस कंपनी को बुलाया गया, वह भी फेल हो गई। अन्तः उड़ीसा राज्य को अपनी ही प्रदेश की कंपनियों के द्वारा बिजली आपूर्ति करवाने का निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा।

भारत की सरकार सुधारों के नाम पर अनेक तौर तरीकों को अपनाने के बावजूद भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाई है। राज्य बिजली बोर्डों को बिजली कानून-2003 के तहत घाटे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पिछले 5 दशकों में राज्य बिजली बोर्डों का घाटा बढ़कर 30 हजार करोड़ हो गया है। पिछले 14 वर्षों में जबसे बिजली बोर्डों को निगमों में बदला गया है, तबसे सभी डिस्कॉम का अनुमानित घाटा 4.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि बिजली बोर्डों पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का कर्ज 5 लाख करोड़ को पार कर गया है। ऐसा तब हो रहा है, जबकि उपभोक्ताओं पर बिजली शुल्क 6 से 8 बार बढ़ा दिया है।

बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने भारत सरकार से बिजली कानून-2003 को लागू करने के बाद आम जनता पर पड़ने वाले प्रभावों पर श्वेत पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। लेकिन अभी तक इसकी अनुपालना नहीं हुई है। दूसरी तरफ सरकार निजी कंपनियों को ऊर्जा के तमाम स्त्रोतों जैसे : उत्पादन, वितरण एवं

सम्प्रेषण में मुनाफा बटोरने के लिए खुली लूट की छूट दे रही है। जबकि देश की 25 प्रतिशत आबादी को अभी तक बिजली नहीं मिल पा रही है। भारत सरकार बिजली कानून-2003 में बनाए गए संशोधनों में ग्रामीण क्षेत्रों को शत-प्रतिशत बिजली देने के लिए अनुच्छेद 6 की भी अनदेखी कर रही है। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों तथा जनता के दबाव में सरकार से इस अनुच्छेद के निरस्त करने के लिए मजबूर किया है।

प्रस्तावित कानून को लागू करके उसके निजीकरण, फ्रेंचाईजी, ठेकाकरण तथा आऊटसोर्सिंग के उद्देश्यों की पूर्ति के बावजूद भी सरकार सस्ती दरों पर बिजली देने में नाकाम रही है। अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजैक्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली पर टैरिफ को विकसित करने के लिए आई थी, वह भी धोखा देने वाली साबित हुई। 16 में से केवल 3 परियोजनाएं लागू हुई। यह भी पिछले दरवाजे से टैरिफ को बढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल है। सासन में अम्बानी तथा मुंद्रा में अदानी अपने गैर कानूनी व्यवसाय को जायज ठहराने की सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई हार गए हैं। 10 डिस्कॉम जिन्होंने इन परियोजनाओं के पॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए, वे अगले दो दशकों तक उपभोक्ताओं के करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। अदानी ने कोयले के गहरे समुंद्र कारोबार से सत्तासीन राजनेताओं की मिलीभगत करके धोखाधड़ी का नया इतिहास लिख दिया है। बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी और लूट की पृष्ठभूमि के मद्देनजर भारत सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े कारोबारियों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए विस्तृत क्षेत्र प्रदान कर रही है। जैसा कि बिजली संशोधन बिल-2014 में बिजली वितरण के व्यवसाय को दो भागों में वाहन और सामग्री में बांटा गया है।

जैसा कि संशोधन बिल में प्रस्तावित है कि कोई वितरण एजेन्सी किसी भी निर्धारित क्षेत्र में स्थापित नेटवर्क के द्वारा बिजली का वितरण कर सकती है। इस प्रणाली को खुला प्रवेश (Open Access) भी कहा जाता है। सरकार इस प्रणाली का प्रचार फुटपाथ विक्रेताओं की तरह कर रही है। उपभोक्ताओं को बहुविकल्पीय वितरकों की ओर आकर्षित किया जा रहा है। गरीब उपभोक्ताओं के पास बिजली आपूर्ति की बढ़ती लागत के अलावा कोई दूसरा विकल्प बिजली के लिए नहीं बचेगा। यह सरकार छुपा रही है कि निजी कंपनियां अधिक राजस्व प्राप्त करने वाले शहरों तथा औद्योगिक केन्द्रों में अपना व्यवसाय खोलने के लिए उत्साहित होंगी। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी को गरीब बिजली उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी के बिजली वितरण में होने वाले नुकसान को उठाना पड़ेगा।

अब बिजली के क्षेत्र में लालची निजी कंपनियां मुनाफा एकत्रित करने के लिए रोज बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर रही हैं। बिजली कर्मचारी जो नियमित हैं, उनको कच्चा कर्मचारी अनुबंध और ठेका मजदूरों के साथ-साथ फ्रेंचाईजी के रूप में बदला जा रहा है। बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ती रहेंगी, लेकिन बिजली कामगारों को कम से कम वेतन दिया जाएगा। जोकि प्राकृतिक नियमों के सीधे विपरीत है। जबकि बिजली को लगातार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र को जोड़ने की कड़ी के रूप में देखा जाता है। अब समय आ गया है कि न केवल बिजली कामगार बल्कि समाज के सभी लोग मिलकर उपभोक्ताओं तथा कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए संघर्ष करें।

इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इंडिया समाज के सभी तबकों के लोगों से दिल खोलकर अपील करता है कि बिजली संशोधन बिल-2014 का विरोध करने के लिए बजट सत्र समेत सभी प्रकार के बिजली कर्मचारियों के संघर्षों में भाग लें, ताकि उपभोक्ताओं तथा कर्मचारियों को शोषण से बचाया जा सके।

'सार्वजनिक क्षेत्र को बचाओ, राष्ट्र को बचाओ'

'बिजली उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और इंजीनियरों की एकता जिंदबाद'

इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इंडिया जिन्दाबाद !